न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः– 436 / 2025

श्री पंकज शेखावत, निवासी ग्राम पोस्ट दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333031

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

—

आदेश

दिनांक 06.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 436 / 2025 पर दिनांक 07.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 4506–507 दिनांक 07.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ ने पत्रांक आरटीआई2025 / 43 दिनांक 24.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस कार्यालय द्वारा प्रकरण मे तहसीलदार, पिलानी को पत्रांक विविध / 35 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था। तहसीलदार, पिलानी ने अपने पत्रांक 529 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की है परन्तु प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः प्रकरण मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ ने पत्रांक पत्रांक आरटीआई2025 / 43 दिनांक 24.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस कार्यालय द्वारा प्रकरण मे तहसीलदार, पिलानी को पत्रांक विविध / 35 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था। तहसीलदार, पिलानी ने अपने पत्रांक 529 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की है परन्तु प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार पिलानी अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं